न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 217/2024

अनवान : –

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड न0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जितेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।

– वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. कमलकिशोर पुत्र मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. विजय कुमार पुत्र मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. रीटा पुत्री मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. श्याम सुन्दर पुत्र बद्रीनारायण जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।
6. अमित पुत्र श्याम सुन्दर जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।
7. ममता पुत्री श्याम सुन्दर निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 12/08/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 86/70 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व 5 प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 5 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई ... वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 6 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के साथ ... हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 4 व 7 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व 6 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कर चुकी है। बाद हक त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 व 3 बहिब काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 6 बहिब काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 व 5 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 5 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 6 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 4 व 7 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व 6 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 व 3 बहिब काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 6 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के [illegible] नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 86/70 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व 5 प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 86/70 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है तथा इसी खाता में प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 217/2024

अनवान : –

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड न0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जितेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।

– वादीगण

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. कमलकिशोर पुत्र मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. विजय कुमार पुत्र मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. रीटा पुत्री मांगीलाल जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी रतन साड़ी प्लेस वार्ड स0 19 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. श्याम सुन्दर पुत्र बद्रीनारायण जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।
6. अमित पुत्र श्याम सुन्दर जाति छिम्पा निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।
7. ममता पुत्री श्याम सुन्दर निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी मोबाईल केयर दुकान स0 173 सीटी पॉईन्ट जामनगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 217 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री संजय कुमार जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 86/70 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है तथा इसी खाता में प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:28:02 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर